

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण**

सं. एफ.2/08/2020/एस-1/पार्ट फाईल/191

दिनांक: 23.05.2020

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोविड-19 महामारी के संक्रमण का खतरा है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने के लिए इसे आवश्यक समझा गया है।

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा परिस्थिति से निबटने के लिए समस्त अपेक्षित उपाय अपनाने के लिए सर्वसंबंधित प्राधिकारियों को समय-समय पर विभिन्न आदेश/निर्देश दिए गए हैं।

और जबकि, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं0 40-3/2020-डीएम-I (ए) दिनांक 17.05.2020, के अनुसरण में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने पहले ही आदेश सं0 फा0 2/07/2020/एस-1/पार्ट-फा0/176 दिनांक 18.05.2020 जारी किया है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 18.5.2020 से अनुमत और निषिद्ध गतिविधियों के संबंध में दिशा-निर्देशों (अनुबंध-ए) के साथ 31.05.2020 तक की अवधि के लिए लॉकडाउन के विस्तार के संबंध में है।

और जबकि, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 17.05.2020 और 19.05.2020 आदेशों के अनुक्रम में आगे आदेश संख्या 40-3/2020-डीएम-I (ए) दिनांक 20.05.2020 (प्रतिलिपि संलग्न) जारी किया है, जिसमें लॉकडाउन उपायों पर दिशानिर्देशों में निम्नलिखित संशोधन दिए गए हैं :

संशोधन

पैरा 2 (i) में 'यात्रियों की घरेलू हवाई यात्रा' निषिद्ध गतिविधियों की सूची से हटा दी गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हवाई अड्डों और यात्रियों की हवाई यात्रा के संचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

और जबकि, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार ने तदनुसार आदेश सं0 एवी. 29017/5/2020 - डीटी दिनांक 21.05.2020 (प्रति संलग्न) जारी किया जिसमें सूचित किया गया है कि भारत सरकार ने यात्रियों की घरेलू हवाई यात्रा को 25.05.2020 से प्रारम्भ करने की सिफारिश की है और कोविड -19 महामारी के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यात्रियों और सभी संबंधितों द्वारा अनुपालन के लिए अनुलग्नक I, II और III के अनुसार प्रमुख हितधारकों (एयरलाइंस, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स, ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों, आदि) के लिए विनिर्दिष्ट परिचालन दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए सामान्य निर्देश/दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

अब, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश संख्या फा0 2/07/2020/एस-1/पार्ट फा0/176 दिनांक 18.5.2020 के अनुक्रम में और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राज्य कार्यकारिणी समिति, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में, यह निर्देश देता है कि 'यात्रियों की घरेलू हवाई यात्रा' को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिनांक 18.05.2020 के पूर्वोक्त आदेश के साथ संलग्न दिशा-निर्देशों के खंड -5 में निषिद्ध गतिविधियों की सूची से बाहर रखा गया है।

यह आगे निर्देशित किया गया है कि संबंधित सभी प्राधिकरण नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 21.5.2020 के उपर्युक्त आदेश/निर्देशों/दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और इसे भी जनता और सभी संबंधितों की जानकारी में लाना होगा।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली.

प्रतिलिपि अनुपालनार्थ :-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. पुलिस आयुक्त, दिल्ली।
3. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्।
4. आयुक्त (दक्षिण दिल्ली नगर निगम/पूर्व दिल्ली नगर निगम/उत्तर दिल्ली नगर निगम)।
5. सीईओ, दिल्ली छावनी बोर्ड।
6. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली।
7. समस्त जिला उपायुक्त पुलिस, दिल्ली।
8. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को व्यापक प्रचार हेतु।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :-

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप-मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय राजस्व मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव, माननीय श्रम मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. सचिव, माननीय समाज कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. सचिव, माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. अपर मुख्य सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. प्रधान सचिव (राजस्व), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
11. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समस्त रेजीटेंट कमीशनर।
12. सिस्टम अनेलिस्ट, मंडलीय आयुक्त दिल्ली का कार्यालय, दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड फाइल।